राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2699/2015

मान सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, बीकानेर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.11.2015
आदेश की दिनांक : 14.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम एम महर्षि, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि उसके 5 वर्ष की एपीएआर को सही तरीके से मूल्यांकन किए जाकर उनकी उचित रेटिंग की जावे तथा अपीलार्थी को द्वितीय चरण के अंकों का निर्धारण करते हुए एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित किया जावे एवं पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने के आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी को वर्ष 2003 में जिला नागौर में कॉनिस्टेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अपीलार्थी स्नातक योग्यताधारी है और रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध उसे आदेश दिनांक 10.09.2009 के द्वारा हेड कॉनिस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.07.2014 के द्वारा सहायक उपनिरीक्षक के 17 रिक्तियों के विरूद्ध जिला नागौर में पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा आयोजन के लिए आदेश जारी किया गया जिसमें 5 पद वर्ष 2011–12 के लिए एसटी वर्ग के आरक्षित थे। अपीलार्थी ने उक्त परीक्षा में भाग लिया, परन्तु हेड कॉनिस्टेबल दिनांक 01.04.2011 के पद पर तीन वर्ष का पूर्ण अनुभव नहीं होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 621/14 प्रस्तुत की जिसके क्रम में अपीलार्थी को उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया अपीलार्थी उक्त

परीक्षा में उपस्थित हुअ, परन्तु परीक्षा परिणाम बन्द लिफाफे में रखा गया। अधिकरण के आदेशानुसार अपीलार्थी को योग्यात्मक परीक्षा में योग्य मानते हुए वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध बैठने के लिए आदेश दिया गया और परीक्षा परिणाम को घोषित करने का निर्देश दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2015 के द्वारा उसका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् प्राप्त की और उसने पाया कि उसके सेवाभिलेख का परीक्षण/मूल्यांकन बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है। उसके रिवार्ड आदि का मूल्यांकन नियमानुसार नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अंतिम अंक सूची में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। परन्तु द्वितीय चरण के अंकों में कम मार्क होने की वजह से उसे असफल घोषित कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपीलार्थी के 5 वर्ष की एपीएआर को सही तरीके से मूल्यांकन किए जाकर उनकी उचित रेटिंग की जावे तथा अपीलार्थी को योग्यात्मक परीक्षा के द्वितीय चरण के अंकों का सही निर्धारण करते हुए एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित किया जावे एवं पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर पूरजोर विरोध करते हुए बहस की है कि आदेश दिनांक 31.07.2014 के द्वारा नियम, 1989 के नियम–27(3)(बी) के अनुसार जिला नागौर में हेड कॉनिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2011–12 आयोजित की गई। रिक्ति वर्ष की प्रथम अप्रेल दिनांक 01.04.2011 को हेड कॉनिस्टेबल के पद पर 5 वर्ष की सेवा व स्नातक होने पर तीन वर्ष की सेवाधारी हेड कॉनिस्टेबल को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया गया। अपीलार्थी की हेड कॉनिस्टेबल की पदोन्नति दिनांक 10.09.2009 होने से दिनांक 01.04.2011 को हेड कॉनिस्टेबल के पद पर मात्र 01 वर्ष 6 माह 22 दिन की ही सेवा होने के कारण एवं स्नातक होने पर भी तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करने से अपीलार्थी अपात्र होने के कारण असफल घोषित किया गया। योग्यात्मक परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाती है। प्रथम भाग में लिखित परीक्षा, प्रेक्टिकल, परेड एवं अन्य बाह्य परीक्षा तथा द्वितीय भाग में साक्षात्कार, सेवा रेकर्ड मय एसीआर रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के साथ–साथ दोनों का एग्रीगेट 45 प्रतिशत होना आवश्यक है और इसी प्रकार द्वितीय भाग में भी 45 प्रतिशत अंक होने के साथ–साथ दोनों भागों में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार

अनुभव पूर्ण न होने के कारण अपीलार्थी को असफल घोषित किया गया। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी की पदोन्नति हेड कॉनिस्टेबल के पद पर दिनांक 10.09.2009 को हुई थी। उनका कथन है कि नियम 1989 के नियम–26(2) के तहत् एडीजीपी प्रशिक्षण को वर्गीकरण जारी किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। डीजीपी के आदेश दिनांक 04.05.1997 के द्वारा हेड कॉनिस्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नति का पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें 5 वर्ष की एसीआर का मूल्यांकन किए जाने का प्रावधान है। जबकि अपीलार्थी के दो वर्ष की एसीआर का मूल्यांकन किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी की एसीआर का एवं रिवार्ड का सही मूल्यांकन नहीं करने तथा परीक्षा में प्राप्त अंकों का सम्यक् निर्धारण नहीं करने से अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित होना पड़ा। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कॉनिस्टेबल के पद पर जिला नागौर में हुई थी और रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध उसे आदेश दिनांक 10.09.2009 के द्वारा हेड कॉनिस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत् हैड कॉनिस्टेबल से एएसआई के पद पर रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया। जिसमें अपीलार्थी द्वारा हेड कॉनिस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा में भाग लिया गया, परन्तु जो कार्मिक स्नातक योग्यताधारी है उन्हें हैड कॉनिस्टेबल के पद का 03 वर्ष का अनुभव एवं जो स्नातक योग्यताधारी नहीं है उन्हें एएसआई के पद पर पदोन्नत हेतु 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। चूंकि अपीलार्थी स्नातक योग्यता रखता है, इसलिए उसे एएसआई के पद पर पदोन्नति के लिए हेड कॉनिस्टेबल के पद का 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। जहां तक अपीलार्थी को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 10.09.2009 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध अपीलार्थी को हैड कॉनिस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी सहायक उप निरीक्षक के पद की रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध तीन वर्ष का पूर्ण अनुभव रखता है। जहां तक योग्यात्मक परीक्षा में नियमानुसार अंको का मूल्यांकन एवं एपीएआर का सही

मूल्यांकन नहीं किए जाने से अपीलार्थी को एएसआई के पद पर पदोन्नति नहीं दिए जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के एपीएआर एवं अंकों का सही मूल्यांकन नियमानुसार नहीं किया गया है, जिससे अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित करना पडा। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद की आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थी की एपीएआर एवं अंकों का सही नियमानुसार मूल्यांकन करें और यदि अपीलार्थी योग्य पाया जाता है तो उक्त पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य